LEGAL SERVICES INFORMATION BOOKLET
विधिक सेवाएं सूचना पुस्तिका

24x7 Helpline No.

1516

Delhi State Legal Services Authority
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

केंद्रीय कार्यालय, तीसरा तल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 011-23231627, ईमेल: legalaidwing-dslsa@nic.in

dslsa.org | YouTube DSLSA | /dslsa

lae-dslsa@gov.in | dslsa_delhi | @dslsa_delhi

गांधीजी का जंतर

तुम्हें एक जन्तर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तब तो यह कसौटी आजमाओ: जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू पा सकेगा? यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।

Gandhian talisman

"I will give you a talisman. Whenever you are in doubt, or when the self becomes too much with you, apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man [woman] whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him [her]. Will he [she] gain anything by it? Will it restore him [her] to a control over his [her] own life and destiny? In other words, will it lead to swaraj [freedom] for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and your self melt away."

सूचना पुस्तिका

हमारा दृष्टिकोण:

कमजोर और वंचित वर्गों को निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना।

कानूनी सेवाएँ

कानूनी सेवाओं से तात्पर्य उन व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता से है जो कानूनी प्रतिनिधित्व और अदालत प्रणाली तक पहुंचने का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39(क) सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और एक ऐसी कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती है। भारत की संसद द्वारा वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया था जो 9 नवंबर 1995 से अस्तित्व में आया और इस अधिनियम के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए समान अवसर के आधार पर देशव्यापी समान प्रणाली की स्थापना की गई। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) का गठन दिल्ली में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया है।

नालसा और सालसा (राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)

राष्ट्रीय स्तर पर NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) का गठन किया गया है। भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश

INFORMATION BOOKLET

Our Vision:

To promote an inclusive legal system in order to ensure fair and meaningful justice to the marginalized and disadvantaged sections.

Legal Services

Legal Aid refers to legal assistance provided to persons who are unable to afford legal representation and access to the court system. Article 39A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society to ensure equal justice for all. Articles 14 and 22(1) of the Constitution also make it obligatory for the State to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. In 1987, the Legal Services Authorities Act was enacted by the Parliament of India which came into force on 9th November, 1995 and established a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker sections of the society, on the basis of equal opportunity. Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) has been constituted under the Legal Services Authorities Act,1987 in Delhi.

NALSA & SLSAs

At the national level, NALSA (National Legal Services Authority) has been constituted. Hon'ble Chief Justice of India is the Patron-in

नालसा के मुख्य संरक्षक हैं और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, NALSA के सदस्य सचिव की नियुक्ति करती है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है।

प्रत्येक राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) का गठन किया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक और उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रत्येक सालसा के लिए एक सदस्य सचिव है।

प्रत्येक उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है।

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 14.02.1996 को किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय के अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

डीएसएलएसए (DSLSA) ने सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की है, जिसमें प्रत्येक जिले में दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं।

क्षेत्र के निवासियों को कानूनी सेवाएँ आसानी से सुलभ कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक न्यायालय परिसर मे स्थित हैं। उच्च न्यायालय स्तर पर, कानूनी सेवाएं

Chief of NALSA and the Senior Most Judge of the Supreme Court is the Executive Chairman. Central Government, in consultation with the Chief Justice of India, appoints the Member Secretary of NALSA.

Supreme Court Legal Services Committee has been constituted to provide legal aid in the Supreme Court of India.

In every State, a State Legal Services Authority (SLSA) has been constituted with the Chief Justice of the High Court as the Patron-in-Chief and the Senior Most Judge of the High Court as its Executive Chairman. There is a Member Secretary for each SLSA.

In every High Court, a High Court Legal Services Committee has been constituted to provide legal aid in cases before the High Court.

Delhi State Legal Services Authority

Delhi State Legal Services Authority was constituted on 14.02.1996. The Hon'ble Chief Justice of Delhi High Court is Patron-in-chief and the next senior most Judge of the Delhi High Court is the Executive Chairperson of the Authority.

DSLSA has set up District Legal Services Authorities in all Districts, with an officer of the Delhi Judicial Services Cadre as the Secretary in each District.

District Legal Services Authorities are located at each Court complex to make legal services easily accessible to the litigants and residents of the area. At the High Court level, Delhi

प्रदान करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है।

कानूनी सेवा संस्थानों के कार्य

- पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करना।
- विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन।
- समाज के कमजोर और हाशिये के वर्गों के अधिकारों के बारे में कानूनी जागरूकता का प्रचार- प्रसार करना।
- रणनीतिक और निवारक कानूनी सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से नालसा की योजनाओं और नीति निर्देशों को लागू करना।

निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति:

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य;
- महिला या बालक;
- औद्योगिक कामगार;
- हिरासत में व्यक्ति, जिसमें संरक्षित गृह के बच्चे और मनोरोग अस्पताल या मन:चिकित्सालय में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, शामिल है;
- मानव तस्करी या बेगार का शिकार;
- दिव्यांगजन;
- सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, या औद्योगिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति;
- 4,00,000/- रुपये से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर;

High Court Legal Services Committee has been constituted to provide legal services.

Functions of Legal Services Institutions

- Providing Free and Competent Legal Services to eligible persons.
- Organizing Lok Adalats for amicable settlement of disputes.
- Creating legal awareness about the rights of the weaker and marginalized sections of the society.
- Implementing the Schemes and policy directions of NALSA through strategic and preventive Legal Services Programmes.

Persons Eligible for Getting Free Legal Aid:

- A member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe.
- A woman or a child.
- An industrial workman.
- A person in custody, including a child in protective home and a mentally ill person in a psychiatric hospital or nursing home.
- A victim of trafficking in human beings or *begar*.
- Persons with Disabilities.
- A victim of mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake, or industrial disaster.
- A Transgender with an annual income of less than Rs. 4,00,000/-.

- 4,00,000/- रुपये से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक;
- 3,00,000/- रुपये से कम वार्षिक आय वाला कोई भी व्यक्ति;
- एसिड अटैक पीड़ित;
- एचआईवी एड्स से संक्रमित और प्रभावित व्यक्ति।

नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ:

नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों को दीवानी प्रकृति के सभी मामलों जैसे संपत्ति विवाद, वैवाहिक और बच्चों की हिरासत के मामले,श्रम या सेवा कानून के मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के मामले, उपभोक्ता विवाद आदि और फ़ौजदारी अपराधों से जुड़े मामलों में भी कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मे मामलों में भी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के जरिए कानूनी सेवाएँ प्रदान की जाती है।

नि:शुल्क कानूनी सहायता के प्रावधान में शामिल हो सकते हैं:

- न्यायालय शुल्क, न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के बाद ही देय;
- किसी भी कानूनी कार्यवाही के संबंध में देय या खर्च किए गए प्रक्रिया शुल्क और अन्य समान शुल्क;
- किसी भी कानूनी कार्यवाही का प्रारूप तैयार करने और दाखिल करने के लिए शुल्क;
- कानूनी कार्यवाही में निर्णयों, आदेशों और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने और आपूर्ति करने की लागत;
- कानूनी कार्यवाही में एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व;
- कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों की छपाई और अनुवाद सहित दलीलें, अपील का ज्ञापन, पेपर बुक तैयार करना;
- कानूनी दस्तावेजों, विशेष अनुमति याचिका आदि का मसौदा तैयार करना;
- किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी मामले या अन्य कानूनी कार्यवाही के संचालन में कोई भी सेवा प्रदान करना और;
- किसी कानूनी मामले पर सलाह देना।

- Senior Citizens with an annual income of less than Rs. 4,00,000/-.
- A person with an annual income of less than Rs.3,00,000/-.
- Acid Attack Victims.
- Person infected and affected with HIV AIDS.

Free Legal Services:

Persons eligible for Free Legal Aid are provided legal services in all cases of civil nature such as property disputes, matrimonial and child custody matters, labour or service law matters, compensation in motor accident cases, consumer disputes etc., cases involving criminal offences and in cases involving violation of fundamental rights guaranteed by the Constitution of India.

Provision of free legal aid may include:

- Court Fees, payable only after an application is moved before the Court;
- Process fees and other similar charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;
- Charges for drafting, preparing, filing of any legal proceedings;
- Cost of obtaining and supply of certified copies of judgments, orders and other documents in legal proceedings;
- Representation by an Advocate in legal proceedings;
- Preparation of pleadings, memo of appeal, paper book including printing and translation of documents in legal proceedings;
- Drafting of legal documents, special leave petition etc;
- Rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any court or other Authority or tribunal and;
- Giving advice on any legal matter.

नि:शुल्क कानूनी सेवाओं में लाभार्थियों को सहायता और सलाह का प्रावधान भी शामिल है जिससे वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके और किसी अन्य तरीके से भी न्याय तक पहुंच सुनिश्चित कर सकें।

कानूनी सहायता के लिए आवेदन कैसे करें?

- नि:शुल्क कानूनी सेवाओं की आवश्यकता वाला व्यक्ति लिखित रूप में आवेदन के माध्यम से या इस पुस्तिका के अंत में दिए गए फॉर्म को भरकर संबंधित प्राधिकारी या समिति से संपर्क कर सकता है, जिसमें कानूनी शिकायत या कानूनी सहायता मांगने के कारणों को संक्षेप में बताया जा सकता है।
- यदि आवेदक अनपढ़ है या लिखने की स्थिति में नहीं है, तो सदस्य सचिव या विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति का कोई अधिकारी उसकी मौखिक प्रस्तुति को रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड पर उसके अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और ऐसे रिकॉर्ड को उसका आवेदन माना जाएगा। डीएलएसए (DLSA) द्वारा प्रदान किया गया पैरा लीगल स्वयंसेवक (PLV) भी आवेदन पत्र भरते समय व्यक्ति की सहायता कर सकता है।
- आवेदक को कानूनी सेवाएं प्राप्त करने हेतु पात्रता के मानदंड को सत्यापित करना आवश्यक होगा। कानूनी सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन डीएसएलएसए (DSLSA) की वेबसाइट (www.dslsa.org) के माध्यम से भी किया जा सकता है। डीएसएलएसए(DSLSA) पूरी दिल्ली में 170 मुफ्त कानूनी सहायता क्लीनिक चला रहा है, जहाँ आवेदक मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह लेने के लिए जा सकते हैं।

Free Legal Services also includes provision of aid and advice to the beneficiaries to access the benefits under the welfare statutes and schemes framed by the Central Government or the State Government and to ensure access to justice in any other manner.

How to apply for legal aid?

- A person in need of free legal services can approach the concerned authority or committee through an application in writing or by filling up form given in the end of this booklet, stating in brief the reasons for seeking legal aid or the grievance.
- If the applicant is illiterate or is not in a position to write, the Member Secretary or any officer of the Legal Services Authority/Committee shall record his verbal submission and obtain his thumb impression/signature on the record and such record will be treated as his application. A para legal volunteer provided by DLSA can also assist the person while filling the application form.
- The applicant shall be required to verify the eligibility criteria for seeking legal services. An online application for legal aid can also be made through DSLSA Website (www.dslsa.org). DSLSA is also running 170 free legal aid clinics all over Delhi, at various public places, where the applicants can visit for availing free legal aid and advice.

कानूनी सेवाएं कब वापस ली जा सकती हैं?

- जहां सहायता प्राप्त व्यक्ति ने झूठे कथनों के आधार पर या धोखाधड़ी से कानूनी सेवाएं प्राप्त की हैं।
- जहां व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण/ समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य अधिवक्ता को निजी तौर पर नियुक्त करता है।
- सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, सिविल कार्यवाही के मामले को छोड़कर जहां अधिकार या दायित्व जीवित रहता है।
- जहां कानूनी सेवाओं के लिए आवेदन के दौरान या अन्य किसी मामले में कानून की प्रक्रिया या कानूनी सेवाओं का दुरुपयोग होना पाया जाता है।

कानूनी सेवाओं से इनकार करने पर आप कहां अपील दायर कर सकते हैं?

- कानूनी सेवा के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सबसे पहले मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदक की पात्रता की जांच करेगा। यदि आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है,तो सचिव अत्यावश्यक मामलों में मूल्यांकन समिति के माध्यम से या स्वयं आवेदन की योग्यता की जांच करेगा । इसके अलावा, सचिव को उचित मामलों में एक या अधिक कानूनी सेवा अधिवक्ताओं और/या वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कानूनी राय लेने का अधिकार होगा।
- यदि आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और उसके आवेदन मे वरीयता भी है, तो सचिव, कानूनी सेवा प्रदान करने का तरीका तय करेगा।
- मूल्यांकन समिति/सचिव द्वारा किसी भी मामले में कानूनी सेवाएँ प्रदान के लिए आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है। इस स्थिति में अस्वीकृत किए जाने वाले कारणों को लिखित रूप में दर्ज से किया जाएगा, और आवेदक को ऐसी अस्वीकृति के बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा।

When can legal services be withdrawn?

- Where the aided person obtained legal services by misrepresentation or fraud.
- Where person engages a legal practitioner other than the one assigned by Legal Services Authority/Committee.
- In the event of death of the aided person, except in the case of civil proceedings where the right or liability survives.
- Where the application for legal services or the matter in question is found to be an abuse of the process of law or of legal services.

Where you can file an appeal for denial of legal services?

- On receipt of an application for legal service, the Secretary shall first examine the eligibility of the applicant for free legal aid. If the applicant satisfies the eligibility criteria, the Secretary shall proceed to examine the merits of the application through the Evaluation Committee or by himself/herself in urgent matters. In addition, the Secretary shall be empowered to seek legal opinion, from one or more Legal Services Advocates and/or Senior Advocates, in appropriate cases.
- In case the applicant satisfies the eligibility criteria and also has merit in his application, the Secretary shall proceed to decide the mode of legal service.
- An application for the grant of legal services in any matter may be rejected by the Evaluation Committee /Secretary for reasons to be recorded in writing, and the applicant will be informed immediately of such rejection.

- कोई आवेदक जिसका कानूनी सेवाओं प्रदान करने के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया है,वह निर्णय के लिए प्राधिकरण/समिति के अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकता है और अध्यक्ष द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।

क्या नि:शुल्क कानूनी सहायता सेवा के संबंध में शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं?

- नि:शुल्क कानूनी सहायता और सेवाओं में सुधार के लिए सदस्य सचिव/सचिवों को ईमेल के माध्यम से शिकायतें प्रेषित की जा सकती हैं।

वर्ष 2022 में, डीएसएलएसए ने कुल 92003 लाभार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्रदान की।

लोक अदालत:

- लोक अदालत आम व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जहां मुकदमेबाजी के दौरान व पहले के चरण में अदालत में चल रहे विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/ समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत, लोक अदालत द्वारा पारित किया गया अवार्ड सिविल अदालत की डिक्री है और लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और उस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है।

- The applicant whose application for grant of legal services has been rejected may prefer an appeal before the Chairperson of the Authority/ Committee for a decision and the decision made by the Chairperson shall be final.

Whether complaints regarding free legal aid service can be filed?

- Complaints through email, to the Member Secretary/Secretaries are invited for improvement in free legal aid and services.

In 2022, DSLSA provided free legal aid & assistance to 92003 beneficiaries.

Lok Adalat:

- Lok Adalat is an important Alternative Disputes Resolution Mechanism available to a common person where, the disputes/ cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled/ compromised amicably. Under the Legal Services Authority Act, 1987, an award made by a Lok Adalat is a decree of a civil court and the decision of Lok Adalat is final and no appeal lies against the same court.

लोक अदालतों में निम्नलिखित मामले उठाए जाते हैं:

बैंक वसूली	श्रम विवाद
चेक ड़िसआनर	भूमि अधिग्रहण
दीवानी मामले	वैवाहिक विवाद
उपभोक्ता मामले	हाउस टैक्स
कंपाउंडेबल अपराध मामले	पेंशन मामले
बिजली विवाद	टेलीफोन विवाद
हाउसिंग बोर्ड और स्लम क्लीयरेंस	श्रमिकों का मुआवजा

- लोक अदालतें माह के दूसरे शनिवार या रविवार को आयोजित की जाती हैं। डीएसएलएसए (DSLSA) ने बिजली विवादों के निवारण के लिए तीन स्थायी लोक अदालतों का भी गठन किया है जो माता सुंदरी लेन और विकासपुरी, नई दिल्ली में कार्यरत हैं।

*वर्ष **2022** में लोक अदालतों में कुल **5,63,983** मामलों का निपटारा किया गया।*

लोक अदालत के संबंध में जानकारी ई-मेल lokadalatwing-dslsa@nic.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम:

डीएसएलएसए (DSLSA) को समाज के कमजोर और हाशिए पर मौजूद वर्ग के अधिकारों के बारे में कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने का दायित्व दिया

Following cases are taken up in the Lok Adalats:

Bank Recovery	Labour Disputes
Cheque Dishonour	Land Acquisition
Civil Matters	Matrimonial Disputes
Consumer Cases	House Tax
Compoundable Offence Cases	Pension Cases
Electricity Disputes	Telephone Disputes
Housing Board and Slum Clearance	Workmen's Compensation

- Lok Adalats are organized on Second Saturdays and Sundays. DSLSA has also constituted three Permanent Lok Adalats for redressal of electricity disputes which are functioning at Mata Sundari Lane and Vikaspuri, New Delhi.

5,63,983 cases were disposed off in Lok Adalats in 2022.

Information regarding Lok Adalat can be sought through e-mail: lokadalatwing-dslsa@nic.in.

Legal Awareness Programmes:

DSLSA is mandated to conduct legal literacy and awareness programmes about the rights of the weaker and marginalized section of

गया है। ये जागरूकता और कानूनी साक्षरता कार्यक्रम न केवल शहरों और कस्बों में बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में कानूनी साक्षरता क्लब और क्लीनिक भी स्थापित किए गए हैं। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों के अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, असंगठित श्रमिक, ट्रांसजेंडर, जेल के कैदी, मनोरोगी, दिव्याङ्गो, आपदा पीड़ितों, महिलाओं के अधिकार, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जैसे विषय सम्मिलित हैं।

वर्ष 2022 में, डीएसएलएसए (DSLSA) ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कुल 6117 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और 5 कॉलेजों में ऐड-ऑन कोर्स आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम से लगभग 600 छात्र लाभान्वित हुए। अब तक डीएसएलएसए (DSLSA) ने 7947 पैरा लीगल वालंटियर्स को प्रशिक्षित किया है जो समाज में कानूनी जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं।

दिल्ली पीड़ित मुआवज़ा योजना, 2018

- यह कानूनी रूप से अपेक्षित है कि किसी अपराध के पीड़ित को उसके पुनर्वास के लिए मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि मुआवजा राशि का उपयोग पीड़ित के सम्पूर्ण व सर्वोत्तम हित में किया जाए ताकि अपराध के कारण पीड़ित को होने वाली शारीरिक और मानसिक क्षति को कम किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित इस मुआवज़ा राशि का उपयोग करके अपने जीवन को फिर से एकीकृत और पुनर्वासित करने में सक्षम हो सके। इस उद्देश्य के साथ दिल्ली पीड़ित मुआवज़ा

the society. These awareness & legal literacy programmes are organized not only in cities & towns but also in rural and remote areas. Legal literacy clubs and clinics have also been set up in schools and colleges. Legal awareness programmes cover issues such as Child Rights, Rights of Senior Citizens, Unorganised Workers, Transgenders, Jail Inmates, Mentally ill and Persons with Disability, Disaster Victims and Womens' Rights, Fundamental Rights and Fundamental Duties.

In 2022, DSLSA organized 6117 awareness programmes in different sections of society and conducted Add-on course in 5 Colleges. Around 600 students benefited from this course. Till now, DSLSA has trained 7947 Para Legal Volunteers who are working to spread legal awareness in the society.

Delhi Victims Compensation Scheme 2018

- It is a legitimate expectation that the victim of an offence must be given rehabilitative support including monetary compensation. We ensure that victim compensation funds are utilized in the best interest of the victim to alleviate the physical and mental harm sustained by the victim, owing to the crime, and ensuring that the victim is able to reintegrate and rehabilitate his/her life by utilizing the compensation amount. With this objective the Delhi Victims Compensation Scheme, 2018 was introduced.

योजना, 2018 शुरू की गई थी।

- दिल्ली पीड़ित मुआवज़ा योजना, 2018 (भाग-I) के तहत, डीएसएलएसए (DSLSA) उन पीड़ितों या उनके आश्रितों को अंतरिम और मामले के अंतिम चरण में मुआवजा प्रदान करता है,जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। यह योजना 27.06.2019 से डीएसएलएसए (DSLSA) के माध्यम से प्रशासित की गई है। योजना के भाग II का प्रारूप "निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ" में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तैयार किया गया था,और यह विशेष रूप से महिला पीड़ितों/ यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित लोगों के लिए तैयार किया गया है।
- यह योजना जीवन हानि, बलात्कार (सामूहिक बलात्कार सहित),अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, अंग हानि, जलाए गए पीड़ित, मानव तस्करी, गंभीर चोट, एसिड हमले आदि के पीड़ितों के लिए मुआवजा प्रदान करती है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की पीड़ा को कम करने के लिए अन्तरिम राहत (चिकित्सा या आर्थिक मुआवजे सहित) का भी आदेश कर सकता है।
- अंतरिम/अंतिम मुआवज़ा देने के लिए आवेदन दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष किया जा सकता है या इसे पीड़ितों या उनके आश्रितों या क्षेत्र के SHO द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की एक प्रति के साथ मेडिकल रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र(यदि उपलब्ध हो) किसी भी न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु पारित आदेश की प्रति के साथ हमारे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी दायर किया जा सकता है।

वर्ष 2022 में कुल 3307 लाभार्थियों को पीड़ित मुआवजा दिया गया और रू. 62,86,55,833/- का वितरण किया गया।

- Under the Delhi Victims Compensation Scheme, 2018 (Part I), DSLSA provides compensation at interim as well as final stage of the case, to victims or their dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation. The Scheme is administered through DSLSA with effect from 27.06.2019. Part II of the Scheme was drafted after Supreme Court judgment in *Nipun Saxena* v. *Union of India*, and it specifically caters to Women Victims/ Survivors of Sexual Assault/ other Crimes.
- Scheme provides compensation for loss of life, victims of rape (including gang rape), victims of unnatural sexual assault, loss of limb, burn victims, victims of human trafficking, victims of grievous injury, acid attack victims etc. Delhi State Legal Services Authority can also order for relief (including medical or monetary compensation) to alleviate suffering of the victim.
- An application for award of interim/ final compensation can be moved either before the Delhi State Legal Services Authority or the concerned District Legal Services Authority or it can be filed online through our Portal by the Victims and/or their dependents or the SHO of the area along with a copy of First Information Report (FIR), medical report, death certificate, if available, copy of judgment and recommendation made by a Court before any of the District Legal Services Authority for disposal.

3307 beneficiaries were awarded victim compensation in 2022 and Rs. 62,86,55,833/- were disbursed.

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

(कानूनी सहायता के लिए आवेदन पत्र)

1. प्रार्थी का नाम:
2. पिता/पति का नाम:
3. निवास का पता (संपर्क न.):
4. अपने से संबंधित वर्ग/वर्गों पर (✓) कीजिए और इसके समर्थन में प्रमाण संलग्न करें:

☐ अनुसूचित जाति	☐ अनूसूचित जनजाति	☐ अभिरक्षा में	☐ अभिरक्षा में मनोचिकित्सालय अस्पताल/गृह	☐ संरक्षण गृह की अभिरक्षा में
☐ आय प्रतिवर्ष 3 लाख रू. से कम	☐ महिला / बालिका	☐ वरिष्ठ नागरिक आय 4 लाख रू. से कम	☐ बालक (लड़का और लड़की दोनों)	☐ किन्नर आय 4 लाख रू. से कम
☐ विकलांग	☐ मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावेदार	☐ महाविपदा से पीड़ित	☐ गुमशुदा बच्चे	☐ जातीय अत्याचार से पीड़ित
☐ रेप पीड़ित	☐ औद्योगिक कर्मी/ मजदूर	☐ दिल्ली पीडित मुआवजा योजना से लाभान्वित	☐ मानव के अवैध व्यापार से या बेगार से पीड़ित	☐ एसिड अटैक से पीड़ित
☐ एच.आई.वी. एडस से प्रभावित एवं संक्रमित				

5. कार्यालय का नाम व पता (यदि है):
6. राष्ट्रीयता:
7. वार्षिक आय (इसके समर्थन में 10 रू.के गैर न्यायिक पत्र पर शपथ पत्र दें):
8. विपक्षी पक्ष का नाम व पता (दूरभाष सहित):
9. अपेक्षित सहायता: कानूनी सलाह/कानूनी अधिवक्ता द्वारा परामर्श:
10. क्या किसी केस को दायर करने के लिए कानूनी सहायता की आवश्यकता है, यदि हाँ, कृपया बताएं: वैवाहिक विवाद/ दीवानी/ आपराधिक/ मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति/ श्रम/ सर्विस/ रिट/ अन्य:
11. क्या इससे पूर्व आपने कोई आवेदन इस कार्यालय में दिया है। यदि हाँ, तो उसका विवरण:
12. क्या इससे पूर्व कोई मामला किसी अन्य न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन है, तो उसका ब्यौरा दे:
13. आप हमारे प्राधिकरण के विषय में कैसे जानते है ? विकल्प पर (✓) कीजिए मित्र/ रिश्तेदार/ समाचार पत्र/ रेडियो / 1516 द्वारा/ अन्य कोई साधन

मैं वचन देता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कानूनी सेवाएं कपटपूर्वक प्राप्त की गई हो अथवा उसे प्राप्त करने के संबंध में दी गई सूचना गलत हो तो कानूनी सेवाएं उसी क्षण से रोक दी जाएं और कानूनी सेवा संस्थान द्वारा किए गए खर्च को मेरे से वसूल किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर

DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

APPLICATION FORM FOR LEGAL AID

1. Name of Applicant:
2. Father's/Husband's Name:
3. Residential Address (Contact No.):-
4. Please (✓) your related section/sections and attach proof in support of it:

☐ Schedule Caste	☐ Schedule Tribe	☐ In Custody	☐ In Custody of a Psychiatric hospital or home
☐ In custody of a protective home	☐ Income < 3 Lac Per annum	☐ Women or Girl Child	☐ Sr. Citizen Income < 4 Lac per annum
☐ Child (Male/Female Both)	☐ Transgender Income < 4 Lac per annum	☐ Disabled	☐ MACT Claimants
☐ Disaster Victims	☐ Missing Children	☐ Victim of Caste atrocity or any other atrocity	☐ Rape Victims
☐ Industrial Workmen/ Labour	☐ Delhi Victim Comp. Scheme Beneficiaries	☐ Victim of Human Trafficking or Begar	☐ Acid Attack Victim
☐ Person infected and Affected with HIV Aids			

5. Name of Office and Address (if any):
6. Nationality:
7. Annual Income (Affidavit on Rs.10/- on non-judicial paper):-
8. Name and Address of opposite party & Tel. No. (If any):
9. Nature of relief sought: Legal Advise/ Counseling by legal Aid Advocate:
10. Whether legal aid is required to file any case, if yes, specify: Matrimonial Dispute/Civil/Criminal/ Labour/Service/Criminal/Writ/Other:
11. Whether any application has been filed previously before this Authority, if yes, give details:-
12. Please state whether any case is pending before, any court, if so, the details thereof:
13. How did you get to know about DSLSA? (please tick (✓) the option)

    Friends/ Relative/ Newspaper/ Radio/ 1516/ Any Other Source

I undertake that if the legal services obtained by me on furnishing incorrect or false information or in a fraudulent manner, the legal services shall be stopped forthwith and the expenses incurred by the Legal Services Institutions shall be recovered from me.

SIGNATURE OF THE APPLICANT

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण

1. केन्द्रिय ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा नं॰ 287, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
फोन नं॰ 23933231, 9667992791 । ई-मेल. central-dlsa@nic.in

2. पश्चिम ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा नं॰ 295, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
फोन नं॰ 23968052, 9667992792 । ई-मेल. west-dlsa@nic.in

3. नई दिल्ली ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
भूतल, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली
फोन नं॰ 23072418, 9971154002 । ई-मेल. newdelhi-dlsa@nic.in

4. पूर्वी ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा नं॰ 36, भूतल, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोन नं॰ 22101336, 9667992793 । ई-मेल. east-dlsa@nic.in

5. उत्तर - पूर्वी ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा नं॰ 35, भूतल, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोन नं॰ 22101335, 9667992794 । ई-मेल. northeast-dlsa@nic.in

6. शाहदरा ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा नं॰ 35 -A, भूतल, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोन नं॰ 22101456, 9667992795 । ई-मेल. shahdara-dlsa@nic.in

7. उत्तर-पश्चिम ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा नं॰ 405, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
फोन नं॰ 27555536, 9667992798 । ई-मेल. northwest-dlsa@nic.in

8. उत्तरी ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा नं॰ 405, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
फोन नं॰ 27557310, 9667992797 । ई-मेल. north-dlsa@nic.in

9. दक्षिण - पश्चिम ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा नं॰ 5A, एडमिन. ब्लाक, भूतल, द्वारका न्यायालय, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली
फोन नं॰ 28041480, 9667992801 । ई-मेल. southwest-dlsa@nic.in

10. दक्षिणी ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
भूतल, उपयोगिता खण्ड, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली
फोन नं॰ 29562440, 9667992799 । ई-मेल. south-dlsa@nic.in

11. दक्षिण - पूर्वी ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
भूतल, उपयोगिता खण्ड, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली
फोन नं॰ 29561040, 9667992800 । ई-मेल. southeast-dlsa@nic.in

12. केन्द्रिय-II ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
फ्रंट ऑफिस, भूतल, राउज एवेन्यू ज़िला न्यायालय परिसर
पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली
फोन नं॰ 20832847 । ई-मेल. rouseavenue-dlsa@delhi.gov.in

District Legal Services Authorities

1. Central District Legal Services Authority
   Room No. 287, Tis Hazari Courts, Delhi
   Phone No° 23933231, 9667992791 I E-Mail. central-dlsa@nic.in

2. West District Legal Services Authority
   Room No. 295, Tis Hazari Courts, Delhi
   Phone No° 23968052, 9667992792 I E-Mail. west-dlsa@nic.in

3. New Delhi District Legal Services Authority
   Pre-Fab Building, Ground Floor, Patiala House Courts New Delhi
   Phone No° 23072418, 9971154002 I E-Mail. newdelhi-dlsa@nic.in

4. East District Legal Services Authority
   Room No. 36, Ground Floor, Karkardooma Courts, Delhi
   Phone No° 22101336, 9667992793 I E-Mail. east-dlsa@nic.in

5. North - East District Legal Services Authority
   Room No. 35, Ground Floor, Karkardooma Courts, Delhi
   Phone No° 22101335, 9667992794 I E-Mail. northeast-dlsa@nic.in

6. Shahdara District Legal Services Authority
   Room No. 35-A, Ground Floor, Karkardooma Courts, Delhi
   Phone No° 22101456, 9667992795 I E-Mail. shahdara-dlsa@nic.in

7. North West District Legal Services Authority
   Room No.-405, Rohini Courts, New Delhi
   Phone No° 27555536, 9667992798 I E-Mail. northwest-dlsa@nic.in

8. North District Legal Services Authority
   Room No.-405, Rohini Courts, New Delhi
   Phone No° 27557310, 9667992797 I E-Mail. north-dlsa@nic.in

9. South-West District Legal Services Authority
   Room No.- 5A, Admin Block, Ground Floor, Dwarka Courts,
   Sector-10, Dwarka, New Delhi
   Phone No° 28041480, 9667992801 I E-Mail. southwest-dlsa@nic.in

10. South District Legal Services Authority
    Ground Floor, Utility Block, Saket Courts, New Delhi
    Phone No° 29562440, 9667992799 I E-Mail. south-dlsa@nic.in

11. South-East District Legal Services Authority
    Ground Floor, Utility Block, Saket Courts, New Delhi
    Phone No° 29561040, 9667992800 I E-Mail. southeast-dlsa@nic.in

12. Central-II District Legal Services Authority
    Front Office, Ground Floor Rouse Avenue District Court Complex
    Pandit Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi
    Phone No° 20832847 I E-Mail. rouseavenue-dlsa@delhi.gov.in